प्रेषक,

अमर सेन सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अपर पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 07 जनवरी, 2019***

विषय: आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी तुलसीराम पुत्र श्री नाथूराम, निवासी जनपद-जालौन की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-45968/प्रोबे0अनु0-(2)-189/सला0समिति/(एम0 21-12-2017) दिनांक-29-12-17 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी तुलसीराम पुत्र श्री नाथूराम, निवासी-ग्राम-कुंवरपुरा, थाना-जालौन, जनपद-जालौन हाल पता-337 इन्द्रानगर मॉ पीताम्बरा गेस्ट हाउस के पास, थाना-कोतवाली उरई, जिला-जालौन का निवासी है। बन्दी का अपने ही गांव के कैलाशनाथ से वाद-विवाद चल रहा था। वाद-विवाद बढ़ जाने के कारण दिनांक 22-04-1987 को सुबह 6:00 बजे बन्दी ने कैलाश नारायण की 16 वर्षीय पुत्री कु0 विनीता की चाकू मारकर हत्या कारित की । उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-125/1987 में भा0द0वि0 की धारा-302 के अन्तर्गत मा0 सत्र न्यायाधीश, जालौन स्थान उरई के आदेश दिनांक 27.04.1988 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 30.03.2012 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया। बन्दी द्वारा दिनांक 27.09.2017 तक 30 वर्ष, 05 माह, 05 दिन की अपरिहार सजा तथा 38 वर्ष, 08 माह, 05 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि बन्दी के अपराध को लेकर गांव में अब भी आक्रोश व्याप्त होने, बंदी के आपराधिक प्रवृत्ति का होने, भविष्य में संगीन घटना करने की सम्भावना होने, पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने से कानून व न्याय के प्रति विश्वास बढ़ने आदि के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी द्वारा बन्दी को 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट अभिमत नहीं दिया गया है। सलाहकार समिति की आख्यानुसार बन्दी का अपने ही गांव के कैलाशनाथ नामक व्यक्ति से वाद-विवाद होने, वाद-विवाद बढ़ जाने के कारण कैलाशनारायण नामक व्यक्ति की 16 वर्षीय पुत्री की चाकू मारकर हत्या कर दी। बन्दी की आयु, कारित अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट की आख्या के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दृष्टिगत जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 एवं धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी तुलसीराम पुत्र श्री नाथूराम को रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित स्पेशल लीव पिटीशन (क्रि0) संख्या-7431/2018 में पारित आदेश दिनांक 27.08.2018 के अनुपालन में तथा उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी तुलसीराम (बंदी सं0-14955) पुत्र श्री नाथूराम, निवासी जनपद-जालौन की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अमर सेन सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-02/**2019/4138**(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, जालौन।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।